न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या
मैनुअल नं.74/प्रा.पत्र/2024
(GCMS No. 2024/123)

प्रविष्टि दिनांक
20.08.2024

निर्णय दिनांक
23.09.2025

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

1. देवा पुत्र धूला जाति भील निवासी ग्राम डाबी, तहसील तालेडा
2. उदा पुत्र धूला जाति भील निवासी ग्राम डाबी, तहसील तालेडा
   (मृतक जर्ये कायम मुकाम) –
   2/1.सत्तू पुत्र स्व.उदा जाति भील निवासी डाबी, तहसील तालेडा
3. कंवरीबाई पत्नी धूला जाति भील निवासी डाबी (मृतक नाम विलोपित)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956
(कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम,1970)

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी धूला वल्द रामा को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 593/1269 रकबा 0.2509 हैक्टेयर वाकेग्राम डाबी आवंटन आदेश दिनांक 22.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु भूमि आवंटन नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

जिला कलक्टर, बून्दी

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 74/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024/123 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थी सं.1 देवा दिनांक 24.09.24 को स्वयं उपस्थित आया तथा अप्रार्थी सं.2 व 3 की मृत्यु हो जाने सूचना प्राप्त हुई। तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 11.06.2025 के अनुसार अप्रार्थी सं.3 के उत्तराधिकारी पूर्व में ही प्रकरण में पक्षकार होने से इसका नाम विलोपित किया गया तथा अप्रार्थी सं. 2 का कायम मुकाम जर्ये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थी सं. 2/1 दिनांक 21.07.2025 को स्वयं उपस्थित न्यायालय आया, किन्तु आगामी पेशियों पर अप्रार्थी सं.1 एवं अप्रार्थी सं. 2/1 बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से उनके विरूद्ध दिनांक 09.09.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी गैर खातेदारान का आवंटित भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त नहीं है, मौके पर उक्त भूमि तालाब के मध्य में डूब में आ रही है जिसमें वर्तमान में कृषि कार्य नहीं हो रहा है। इस प्रकार आवंटी तथा उसके वारिसान द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि धूला वल्द रामा कौम भील निवासी डाबी को दिनांक 22.11.1975 को भूमि खसरा सं. 593/1269 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा वाकेग्राम डाबी का आवंटन किया गया था। ग्राम डाबी की नकल जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार भूमि खसरा संख्या 593/1269 रकबा 0.2509 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। आवंटी तथा उसके वारिसान अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के नियम 14(4) के तहत यहां पेश किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र के बिन्दू 4 पर "आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है" अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध संयुक्त मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी, आईएलआर एव नायब तहसीलदार डाबी अनुसार उक्त भूमि पर गैर खातेदारान का कब्जा काश्त नहीं है तथा मौके पर भूमि तालाब के मध्य में डूब में आ रही है। जिससे कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित उक्त भूमि पर गैर खातेदारान का कब्जा काश्त नहीं होना प्रमाणित होता है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने, भूमि पर कृषि कार्य नहीं होकर तालाब के डूब में स्थित होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है। अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से ऐसा प्रतीत होता है कि गैर खातेदारान उक्त आवंटन को बहाल रखे जाने के इच्छुक नहीं है। जिससे उक्त आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी धूला वल्द रामा कौम भील निवासी डाबी को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 593/1269 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा (हाल रकबा 0.2509 हैक्टेयर) वाकेग्राम डाबी दिनांक 22.11.1975 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को तत्काल कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे, तो उसके विरूद्ध अतिक्रमी की हैसियत से अविलम्ब बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 23.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी